शंकर बनाम सहायक अभियंता
दावा

नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-2-2020	वादी शंकर के प्रा०पत्र पर पत्रावली आज पेशी मे ली गई। वादी शंकर व प्रतिवादी सं० 1 ने हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रा० वास्ते निर्णय दि० 11-2-2020 को पेश हो।	
	11-2-2020 वकील उभयपक्ष उप०। दावा वादी बरूए राजीनामा निर्णीत किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
76/2019	28.6.2019	11.2.2019

शंकर पुत्र पून्या, बैरवा निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

1. सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, गंगापुर सिटी
2. नरेश कुमार मीना ठेकेदार ग्राम पीलोदा तहसील वजीरपुर
3. राजस्थान राज्य जरिए जिलाकलेक्टर सवाई माधोपुर ---प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री छुट्टन लाल बैरवा , एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री आलोक गोयल, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से
श्री राजकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी नं0 3 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0नं0 298 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 299 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 333 रकबा 0.80 है0 ग्राम टटवाडा में स्थित है। वादी की भूमि को सडक के लिए अवाप्त नहीं किया गया है। दिनांक 26.6.2019 को प्रतिवादी सहायक अभियंता अपने साथ कछ लोगों को लेकर वादी के उपरोक्त खेतों पर पहुंचा तथा वादी के खेतो की खुदाई करवाने लगा। वादी ने जब खेतों की खुदाई के सम्बन्ध में पूछा तो एक व्यक्ति कहने लगा मैं कृषि विपणन बोर्ड का सहायक अभियंता हूं, मेरे साथ नरेश ठेकेदार है। तुम्हारे खेतो में होकर सडक निकलवानी है इसलिए खुदाई करवा रहे हैं। कुछ दिनो में मैटेरियल मंगवा कर सडक निर्माण पूरा करेंगे। वादी ने उनसे कहा कि सरकार ने सडक के लिए वादी की भूमि अवाप्त नहीं की है एवं कोई मुआवजा भी वादी को नहीं दिया है, वादी की भूमि में खुदाई मत करो। इस पर प्रतिवादीगण गाली गलौच की भाषा बोलते हुए कहने लगे हम तेरे खेतो में होकर सडक बना कर रहेंगे, तेरे जचे जो कर, सडक निर्माण तो नहीं होना ही है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 298 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 299 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 333 रकबा 0.80 है0 ग्राम टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी में होकर सडक नहीं निकालें, सडक निर्माण हेतु खुदाई नहीं करें न अन्य से करावें।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से उनके अधिवक्ता, प्रतिवादी नं0 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी नं0 3 स्वयं उपस्थित हुआ।

वादपत्र के साथ वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2072—2075, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिनांक 7.2.2020 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि वादी राजीनामे के अनुसार यह इकरार करता है कि प्रतिवादीगण द्वारा बनाई जा रही सडक हेतु स्वेच्छा से बिना किसी दबाब के अपनी कृषि भूमि ख0नं0 298 व 333 के पश्चिम दिशा की तरफ खेतों की डोल के सहारे 15 फीट भूमि सडक निर्माण हेतु दे देगा प्रतिवादीगण द्वारा खेतों की डौल के सहारे सहारे 15 फीट की सीमा में सडक निर्माण में व्यवधान नहीं डालेगा। अगर 15 फीट से अधिक भूमि वादी की खातेदारी नम्बरों से ली जावेगी तो वादी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा। प्रतिवादीगण इकरार करते हैं कि उनके द्वारा सडक उपरोक्त विवादित खसरा नम्बरों में सडक निर्माण कार्य दोनों पक्षों की सहमति एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित रेडमार्क के मुताबिक सडक निर्माण करवाया जावे। उक्त राजीनामे के साथ संलग्न खसरा नक्शा ट्रेस में अंकित रेडलाइन से बाहर सडक निर्माण प्रतिवादीगण द्वारा नहीं कराया जावेगा। यह राजीनामा उभयपक्षकारों द्वारा आपसी सहमति व बिना किसी दबाब के अपनी स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्धि की अवस्था में पढ सुन समझ कर लिख दिया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान वकीलों ने राजीनामे अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 के अनुसार भूमि ख0नं0 298 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 299 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 333 रकबा 0.80 है0 ग्राम टटवाडा वादी शंकर पुत्र पून्या जाति बैरवा की खातेदारी में दर्ज है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी ने उसकी

उप जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी (स0मा0)

खातेदारी भूमि ख0नं0 333 व 298 की पश्चिमी डौल के सहारे सहारे 15 फीट भूमि में सडक निर्माण हेतु सहमति दी है। इस राजीनामे अनुसार प्रस्तुत वाद का निर्णय किया जाना उचित है।

आदेश

अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि ख0नं0 298 व 333 ग्राम टटवाडा की पश्चिमी डौल के सहारे सहारे 15 फीट भूमि में, जिसे राजीनामे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा ट्रेस में लाल डोटेड लाइन से दर्शाया गया है, होकर ही सडक का निर्माण कार्य करेंगे, इन नम्बरों की शेष भूमि के उपयोग उपभोग में वादी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल दावे के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

शंकर पुत्र पून्या, बैरवा निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, गंगापुर सिटी
2. नरेश कुमार मीना ठेकेदार ग्राम पीलोदा तहसील वजीरपुर
3. राजस्थान राज्य जरिए जिलाकलेक्टर सवाई माधोपुर ——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 76/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री कुन्दनलाल वर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री आलोक गोयल, एडवोकेट, राजकीय अधिवक्ता मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि ख0नं0 298 व 333 ग्राम टटवाडा की पश्चिमी डौल के सहारे सहारे 15 फीट भूमि में, जिसे राजीनामे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा ट्रेस में लाल डोटेड लाइन से दर्शाया गया है, होकर ही सडक का निर्माण कार्य करेंगे, इन नम्बरों की शेष भूमि के उपयोग उपभोग में वादी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.2.2020 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.06.24 16:19:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: